| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>राजूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )<br><br>**सू.अ.अ. अपील संख्या 22 / 2020** | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.02.20 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजूराम विश्नोई, पता 564, मंगल नगर, गुड़ा विश्नोईान पं.सं. लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.12.2019 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय में पंजीकृत ( 201903063101213, 201903063101207, 201903063101000, 201703063101571 ) आवासीय भूखण्डो से संबंधित दस्तावेज , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उप पंजीयक लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उप पंजीयक लूणी) से सूचना चाही गई परन्तु अपील तहसीलदार लूणी के विरूद्ध पेश की गई तथा उप पंजीयक लूणी के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। प्रशासनिक स्तर पर उप पंजीयक लूणी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |